

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
जनपद- कुशीनगर, गोरखपुर, फतेहपुर व फिरोजाबाद,
उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक : 10 जून, 2016

विषय- वर्ष 2016-17 में प्रदेश के जनपद- कुशीनगर, गोरखपुर, फतेहपुर व फिरोजाबाद में पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को लागू किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या- 17/2016/1237/12-2-2016-60(3)/2016 दिनांक 13 मई, 2016 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल द्वारा वर्ष 2016-17 के खरीफ व रबी मौसम में नई फसल बीमा योजना के रूप में प्रदेश के जनपद- कुशीनगर, गोरखपुर, फतेहपुर व फिरोजाबाद में पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना निम्नलिखित प्राविधानानुसार लागू किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- 1- योजना को भारत सरकार के अंशापत्र संख्या: 13015/03/2016-क्रेडिट-II, दिनांक 23 फरवरी, 2016 द्वारा जारी प्रशासनिक स्वीकृति एवं भारत सरकार के पत्र संख्या: 11019/01/2015-क्रेडिट-II(पीटी.) दिनांक 23 मार्च, फरवरी 2016 द्वारा जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के अनुरूप प्रदेश में संचालित किया जायेगा।
- 2- योजना के अन्तर्गत जनपद- कुशीनगर व गोरखपुर में फसल केला तथा जनपद- फतेहपुर व फिरोजाबाद में फसल मिर्च को ब्लाक में स्थापित मौसम केन्द्र स्तर पर अधिसूचित किया गया है। सम्बन्धित ब्लाक में अधिसूचित फसल के उत्पादक ऋणी एवं गैर ऋणी कृषकों द्वारा फसल का बीमा कराया जा सकेगा। क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा प्रत्येक ब्लाक में दो स्वचालित मौसम केन्द्र को भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप स्थापित कराया जायेगा।

3- प्रतिकूल मौसमीय परिस्थितियों के कारण अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल नष्ट होने की सम्भावना के आधार पर कृषकों को बीमा कवर के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी।

4- योजना में कवर किये गये जोखिम-

4-(i) फसल केला- कम व अधिक वर्षा, लगातार शुष्क अवधि, तापमान, तेज हवा।

4-(ii) फसल मिर्च- कम व अधिक वर्षा, लगातार शुष्क अवधि, तापमान, आद्रता।

5- आई०सी०आई०सी०आई० लाम्बाई जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लि० को पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के संचालन हेतु क्रियान्वयन एजेन्सी के रूप में प्रदेश के जनपद- कुशीनगर, गोरखपुर, फतेहपुर व फिरोजाबाद में ऋणी एवं गैर ऋणी कृषकों की अधिसूचित फसलों को बीमा कवरेज प्रदान करने हेतु नामित किया गया है।

6- अधिसूचित क्षेत्र (ब्लाक में स्थापित मौसम केन्द्र स्तर) में अधिसूचित फसल को उगाने वाले सभी कृषक (बटाईदार व किराये पर खेती करने वाले कृषकों सहित) निम्नवत योजना में सम्मिलित हो सकेंगे:-

6-(i) ऋणी कृषक:- वित्तीय संस्थाओं - व्यवसायिक/ग्रामीण बैंक शाखाओं/प्राथमिक कृषि सहकारी समिति (पैक्स) से अधिसूचित फसलों हेतु अल्प कालीन कृषि प्रचालन ऋण लेने वाले समस्त ऋणी कृषकों को सम्बन्धित बैंक शाखा/संस्था द्वारा अनिवार्य रूप से योजना में कवर किया जायेगा।

6-(ii) गैर ऋणी कृषक:- अन्य सभी कृषक, जो योजना में सम्मिलित होने के इच्छुक हैं, द्वारा अपनी इच्छानुसार अधिसूचित फसल का बीमा कराया जा सकेगा।

6-(iii) ऋणी एवं गैर ऋणी सभी कृषकों द्वारा दिनांक 30 जून 2016 की अन्तिम तिथि तक प्रीमियम की कटौती कराते हुए योजना में सम्मिलित हुआ जा सकेगा।

6-(iv) ऋणी कृषकों के अधिसूचित फसल का बीमा सम्बन्धित ऋण प्रदाता शाखा (व्यवसायिक/ग्रामीण बैंक शाखाओं/पैक्स) द्वारा किया जायेगा। गैर ऋणी कृषकों द्वारा अपने निकटतम बैंक शाखा/बीमा कम्पनी के अधिकृत एजेण्ट/बीमा कम्पनी को व्यक्तिगत रूप से अथवा क्रियान्वयन अभिकरण को बीमित फसल के पूर्ण विवरण व प्रीमियम की धनराशि के साथ पत्र द्वारा अथवा सीधे बीमा कम्पनी के ऑन लाइन पोर्टल के माध्यम से फसलों का बीमा कराया जा सकेगा।

6-(V) योजना में सम्मिलित होने के इच्छुक गैर ऋणी कृषक को अधिसूचित फसल का बीमा कराने हेतु भू स्वामित्व (बटाई अथवा किराये पर खेती की स्थिति में अनुबन्ध की प्रति) एवं बोई गयी फसल की पुष्टि हेतु आवश्यक प्रमाण-पत्र/साक्ष्य प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। गैर ऋणी कृषक का बैंक खाता होना अनिवार्य है।

7- कृषकों से फसलों के प्रीमियम की धनराशि का एकत्रीकरण व क्रियान्वयन अभिकरण को प्रेषण हेतु निर्धारित समय-सारिणी:-

7-(i) ऋणी कृषक- वित्तीय संस्थाओं- व्यवसायिक/ग्रामीण बैंक शाखाओं/प्राथमिक कृषि सहकारी समिति (पैक्स) द्वारा वर्ष 2016-17 में अधिसूचित फसल हेतु स्वीकृत अल्प कालीन कृषि प्रचालन ऋण /नवीनीकृत ऋण (परिशिष्ट-1 में जनपदवार व फसलवार उल्लिखित बीमित राशि) को दिनांक 30 जून 2016 की अन्तिम तिथि तक कृषक के खाते से प्रीमियम की कटौती करते हुए योजना में अनिवार्य रूप से कवर किया जायेगा। वित्तीय संस्था द्वारा प्रीमियम की धनराशि हेतु अतिरिक्त ऋण स्वीकृत करते हुए अधिसूचित फसलों के लिए प्रीमियम की कटौती सुनिश्चित की जायेगी।

व्यक्तिगत ऋणी कृषक हेतु प्रति हेक्टेयर बीमित राशि कृषक द्वारा बैंक में प्रस्तुत ऋण आवेदन फार्म में अधिसूचित फसल के लिए घोषित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) तथा अधिसूचना के परिशिष्ट-1 में जनपदवार व फसलवार उल्लिखित बीमित राशि के गुणनफल के बराबर होगी।

किसान क्रेडिट कार्ड से अधिसूचित फसल के लिए वर्ष 2016-17 की अवधि हेतु स्वीकृत ऋण (परिशिष्ट-1 में जनपदवार व फसलवार उल्लिखित बीमित राशि) को दिनांक 30 जून 2016 की अन्तिम तिथि तक कृषक के खाते से प्रीमियम की कटौती करते हुए अनिवार्य रूप से कवर किया जायेगा।

व्यावसायिक बैंक शाखा/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा, जिसके स्तर पर फसली ऋण स्वीकृत किया गया है, फसल बीमा के सम्बन्ध में मासिक फसलवार तथा बीमा इकाई क्षेत्रवार (ब्लॉक में स्थापित मौसम केन्द्र स्तर) ब्यौरे का एक विवरण (घोषणा-पत्र), बीमा शुल्क सहित तैयार करेगी तथा दिनांक 30 जून 2016 की अन्तिम तिथि की समाप्ति के 15 कार्य दिवसों के अन्दर बीमा कम्पनी को सीधे उपलब्ध करायेगी।

पैक्स, जिसके स्तर पर फसली ऋण स्वीकृत किया गया है, फसल बीमा के सम्बन्ध में मासिक फसलवार तथा बीमा इकाई क्षेत्रवार ब्यौरे का एक विवरण (घोषणा-पत्र), बीमा शुल्क सहित तैयार करेगी तथा दिनांक 30 जून 2016 की समाप्ति के 15 कार्य दिवसों के अन्दर जिला सहकारी बैंक को उपलब्ध करायेगी। जिला सहकारी बैंक द्वारा पैक्स से प्राप्त घोषणा-पत्र व बीमा शुल्क को समेकित कर, प्राप्त होने के 07 कार्य दिवसों के अन्दर क्रियान्वयन अभिकरण को उपलब्ध कराया जायेगा।

7-(ii) गैर ऋणी कृषक- अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल के उत्पादक गैर ऋणी कृषक, योजना में सम्मिलित होने के इच्छुक हैं, द्वारा खरीफ मौसम में दिनांक 01 अप्रैल 2016 से दिनांक 30 जून 2016 की अवधि में परिशिष्ट-1 में फसलवार निर्धारित बीमित राशि का बीमा निकटतम बैंक शाखा/ क्रियान्वयन अभिकरण के अधिकृत एजेण्ट/ क्रियान्वयन अभिकरण को व्यक्तिगत रूप से अथवा क्रियान्वयन अभिकरण को पत्र द्वारा अथवा सीधे क्रियान्वयन अभिकरण के ऑन लाइन पोर्टल के माध्यम से कराया जा सकेगा। कृषक को बीमित फसल के पूर्ण विवरण-मौसम, मौसम केन्द्र स्तर, फसल, बीमित कृषकों की संख्या, बीमित राशि, प्रीमियम राशि, बीमित क्षेत्र, कृषक श्रेणी-सीमान्त अथवा लघु, अनुसूचितजाति, अनुसूचित जनजाति, महिला कृषक, बैंक खाता संख्या के विवरण के साथ प्रीमियम की धनराशि का भुगतान करना होगा।

व्यक्तिगत गैर ऋणी कृषक हेतु प्रति हेक्टेयर बीमित राशि कृषक द्वारा प्रस्ताव फार्म में अधिसूचित फसल के लिए घोषित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) तथा अधिसूचना के परिशिष्ट-1 में फसलवार निर्धारित बीमित राशि के गुणनफल के बराबर होगी।

व्यावसायिक बैंक शाखा/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा, जिसके स्तर पर गैर ऋणी कृषक की फसल का बीमा किया गया है, फसल बीमा के सम्बन्ध में मासिक फसलवार तथा बीमा इकाई क्षेत्रवार ब्यौरे का एक विवरण (घोषणा-पत्र), बीमा शुल्क सहित तैयार किया जायेगा तथा दिनांक 30 जून 2016 की समाप्ति के 07 कार्य दिवसों के अन्दर क्रियान्वयन अभिकरण को सीधे उपलब्ध करायेगी।

पैक्स, जिसके स्तर पर गैर ऋणी कृषक की फसल का बीमा किया गया है, फसल बीमा के सम्बन्ध में मासिक फसलवार तथा बीमा इकाई क्षेत्रवार ब्यौरे का एक विवरण (घोषणा-पत्र), बीमा शुल्क सहित तैयार किया जायेगा तथा दिनांक 30 जून 2016 की समाप्ति के 07 कार्य दिवसों के अन्दर जिला सहकारी बैंक को उपलब्ध करायेगी। जिला सहकारी बैंक द्वारा पैक्स से प्राप्त घोषणा-पत्र व बीमा शुल्क को समेकित कर प्राप्त होने के 07 कार्य दिवसों के अन्दर क्रियान्वयन अभिकरण को उपलब्ध कराया जायेगा।

क्रियान्वयन अभिकरण के अधिकृत एजेण्ट द्वारा गैर ऋणी कृषकों के प्रस्ताव फार्म व बीमा शुल्क को 07 कार्य दिवसों के अन्दर क्रियान्वयन अभिकरण को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा।

7-(iii) क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा फसल बीमा योजना हेतु अपनी कम्पनी का टोल फ्री नम्बर बनाते हुए एक कॉल सेन्टर, जिसमें आवश्यक संख्या में कार्मिक उपलब्ध होंगे, स्थापित कराया जायेगा। टोल फ्री नम्बर का व्यापक प्रचार-प्रसार कृषकों के मध्य सुनिश्चित कराया जायेगा। टोल फ्री नम्बर को प्रदेश स्तर पर स्थापित माननीय मुख्यमंत्री, बैंकिंग सर्विस हेल्पलाइन नम्बर-1520 से भी जोड़ा जायेगा।

8- बीमित राशि, प्रीमियम दर व अनुदान- वर्ष 2016-17 में अधिसूचित फसल हेतु बीमित राशि, कुल प्रीमियम दर, कृषकों द्वारा वहन किये जाने वाले प्रीमियम दर, प्रीमियम पर अनुदान के रूप में केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा वहन किये जाने वाले अंश का जनपदवार व फसलवार विवरण परिशिष्ट- 1 में उल्लिखित है।

9- फसलों की क्षति का आँकलन एवं क्षतिपूर्ति- फसलों की क्षति का आँकलन बीमा इकाई स्तर (ब्लाक में स्थापित मौसम केन्द्र स्तर) पर किया जायेगा। जिसके अन्तर्गत मौसम केन्द्र स्तर पर मौसम के प्रतिदिन के आँकड़ों एवं परिशिष्ट-2 व 3 में फसलवार टर्मशीट में निर्धारित मौसमीय स्थितियों में अन्तर के आधार पर फसल की सम्भावित क्षति को दृष्टिगत रखते हुए किया जायेगा। क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा योजना के प्राविधानों के अनुरूप क्षतिपूर्ति देय होने पर कृषकों को क्षतिपूर्ति का भुगतान बीमा अवधि की समाप्ति के 45 दिन के अन्दर सम्बन्धित बैंक के माध्यम से कृषक के बैंक खाते में जमा करा दिया जायेगा। क्षतिपूर्ति के लिए कृषकों को व्यक्तिगत दावा प्रस्तुत करना नहीं होगा।

बीमित क्षेत्र व फसलों के वास्तविक बोये गये क्षेत्र में विसंगति- अधिसूचित मौसम केन्द्र स्तर पर अधिसूचित फसल के विगत तीन वर्षों के अद्वितीय वास्तविक बोये गये क्षेत्रफल से अधिक बीमित क्षेत्र का बीमा होने पर क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा जनपद के उद्यान, कृषि अथवा राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ सहमति पूर्वक रैण्डम आधार पर वास्तविक बोये गये क्षेत्र व बीमित क्षेत्र की पुष्टि सुनिश्चित की जायेगी एवं तदनुसार बीमित क्षेत्र को समानुपातित आधार पर स्वीकार करते हुए बीमा कवरेज को अन्तिम रूप देंगे एवं क्षतिपूर्ति का भुगतान सुनिश्चित करेंगे।

11- व्यवसायिक बैंक/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRBs) के सभी प्रशासकीय अधिकारी अपने शाखा बैंक के अधिकारियों को योजना के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक दिशा-निर्देश उपलब्ध कराते हुए यह सुनिश्चित करायेंगे कि सभी शाखा बैंकों द्वारा कृषकों के प्रीमियम की धनराशि तथा त्रुटि रहित घोषणा-पत्रों को क्रियान्वयन अभिकरण को निर्धारित अन्तिम तिथि तक सुनिश्चित करायें।

12- सभी बैंक शाखाओं/नोडल बैंक शाखाओं द्वारा क्रियान्वयन अभिकरण को इस आशय का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा कि बैंक स्तर से अधिसूचित फसलों हेतु प्रीमियम की कटौती फसल बीमा की अधिसूचना में निर्गत निर्देशों के अनुरूप नियमानुसार की गयी है एवं बैंक द्वारा योजनान्तर्गत सभी पात्र ऋणी कृषकों को फसल बीमा योजना में कवरेज प्रदान किया गया है। इस प्रमाण-पत्र के साथ बैंक शाखाओं/नोडल बैंक शाखाओं द्वारा प्रीमियम की समेकित धनराशि क्रियान्वयन अभिकरण को निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत किया जायेगा।

13- फसल बीमा सम्बन्धित ऑफ़रों को फसल बीमा पोर्टल पर लोड किया जाना:-

भारत सरकार द्वारा फसल बीमा योजना के बेहतर प्रशासकीय नियंत्रण तथा योजना के सभी कार्यकारी संस्थाओं एवं कृषकों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए पारदर्शी तरीके से योजना से सम्बन्धित समस्त सूचनाओं के आदान-प्रदान करने हेतु फसल बीमा पोर्टल बनाया गया है। इस पोर्टल पर योजना का नाम, बीमित क्षेत्रफल, बीमित कृषक, बीमित धनराशि, कृषक द्वारा देय प्रीमियम, राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा प्रीमियम पर देय अनुदान की धनराशि, क्रियान्वयन अभिकरण, जनपदवार अधिसूचित फसलवार एवं क्षेत्रवार लोड किया जायेगा, ताकि कृषक एवं अन्य सम्बन्धित व्यक्ति/संस्था बीमा से सम्बन्धित समस्त आवश्यक सूचनायें इन्टरनेट एवं एस०एम०एस० के माध्यम से प्राप्त कर सकें। कृषकों द्वारा बीमा योजना से

सम्बन्धित सूचनाओं को सरलता से प्राप्त करने हेतु एक एन्ड्रवायड बेस्ड क्राफ इन्श्योरेन्स एप्प भी लॉन्च किया गया है।

सम्बन्धित क्रियान्वयन अभिकरण योजना की राज्य स्तर पर अधिसूचना जारी होने के एक सप्ताह के अन्दर अधिसूचना से सम्बन्धित समस्त सही-सही सूचनाओं/ऑकड़ों को इन्श्योरेन्स पोर्टल पर लोड कराया सुनिश्चित करेंगी। राज्य सरकार द्वारा पोर्टल पर लोड की गयी सूचनाओं की पुष्टि/सत्यापन किया जायेगा। इन्श्योरेन्स वेब पोर्टल को www.agri-insurance.gov.in पर देखा जा सकता है।

सहकारी/व्यवसायिक बैंक/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मौसम व मौसम केन्द्रवार, बीमित कृषकों की संख्या, कृषकवार बीमित राशि, प्रीमियम राशि, बीमित क्षेत्र, कृषक श्रेणी (सीमान्त अथवा लघु, अनुसूचितजाति, अनुसूचित जनजाति, महिला कृषक), कृषकों के बैंक खाता संख्या का पूर्ण विवरण साफ्ट कापी में बीमा कम्पनी को फसल बीमा पोर्टल पर लोड कराने हेतु दिनांक 30 जून, 2016 के पश्चात प्राथमिकता पर उपलब्ध करायेगी। क्रियान्वयन अभिकरण प्राप्त सूचनाओं को फसल बीमा पोर्टल पर 15 कार्य दिवस के अन्दर लोड कराते हुए साफ्ट कापी के साथ कृत कार्यवाही से निदेशक, कृषि सॉल्यूयिटी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगी।

14- क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा बैंकों से प्राप्त सभी घोषणा-पत्र की पावती सम्बन्धित बैंक शाखाओं को उपलब्ध करायी जायेगी। बैंकों द्वारा किसी भी त्रुटि/अन्तर/विसंगति से क्रियान्वयन अभिकरण को तत्काल अवगत कराया जायेगा। उन स्थितियों में जहाँ बैंक स्तर से निर्धारित अन्तिम तिथि दिनांक 30 जून, 2016 तक कृषक के खाते से बीमा प्रीमियम की कटौती कर ली गयी है, किन्तु क्रियान्वयन अभिकरण को प्रेषित घोषणा-पत्र या प्रपत्रों में त्रुटि के कारण क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा सम्बन्धित वित्तीय संस्थाओं से त्रुटियों के निराकरण की कार्यवाही प्रगति पर है। ऐसी स्थिति में वित्तीय संस्थाओं से कृषकों से घोषणा-पत्र क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा विलम्बतम दिनांक 25 जुलाई, 2016 तक स्वीकार्य किये जायेंगे।

15- क्रियान्वयन अभिकरण का यह पूर्ण अधिकार होगा कि कृषक द्वारा अपूर्ण घोषणा-पत्र, बीमा से सम्बन्धित आवश्यक अभिलेखों की आपूर्ति न करने, प्रीमियम की धनराशि न जमा करने अथवा आंशिक जमा करने आदि की स्थिति में कम्पनी द्वारा कृषक को एक माह के अन्दर पूर्ण करने का अवसर प्रदान करने पर भी कृषक द्वारा त्रुटि रहित घोषणा-पत्र तथा प्रीमियम की धनराशि न अदा करने की स्थिति में कम्पनी बीमा स्वीकार करे अथवा अस्वीकार करे। बीमा

स्वीकार करने की स्थिति में क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा कृषक से प्राप्त सम्पूर्ण प्रीमियम कृषक को प्राथमिकता पर वापस किया जायेगा।

16- योजनान्तर्गत क्रियान्वयन अभिकरण को प्रीमियम पर अनुदान के रूप में देय राज्यांश के भुगतान की प्रक्रिया-

16-(i) क्रियान्वयन अभिकरण की राज्यांश की समस्त मांग के भुगतान हेतु कृषि निदेशक, उ०प्र० अधिकृत होंगे। वित्तीय वर्ष 2016-17 में योजनान्तर्गत बजटीय स्वीकृति में से वर्तमान वर्ष में राज्यांश की देयता के साथ-साथ विगत वर्ष में फसल बीमा योजनान्तर्गत राज्यांश की अवशेष देयताओं का भुगतान किया जायेगा।

16-(ii) दिनांक 30 जून, 2016 तक योजना में कृषकों की अद्यतन भागीदारी के आधार पर क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा प्राथमिकता पर राज्यांश की मांग से सम्बन्धित बीजक एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कम्पनी ऑफ इण्डिया लि० के माध्यम से निदेशक, कृषि सॉखिकी एवं फसल बीमा, उ०प्र० कार्यालय में जनपदवार प्रगति विवरण के साथ प्रस्तुत किया जायेगा।

16-(iii) बैंकों से जनपदवार व फसलवार बीमा प्रगति विवरण के साथ क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा दिनांक 30 जून, 2016 के पश्चात एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कम्पनी ऑफ इण्डिया लि० के माध्यम से प्राथमिकता पर राज्यांश की अवशेष मांग तथा बैंकवार, फसलवार व मौसम केन्द्रवार पूर्ण प्रगति विवरण के साथ दिनांक 30 जून, 2016 के पश्चात 60 दिनों में राज्यांश की मांग को अन्तिम रूप देते हुए एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कम्पनी ऑफ इण्डिया लि० के माध्यम से निदेशक, कृषि सॉखिकी एवं फसल बीमा, उ०प्र० कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा। क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा वास्तविक मांग के अनुरूप राज्यांश की मांग प्रस्तुत की जायेगी।

16-(iv) क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा राज्यांश की मांग का पूर्ण परीक्षण किया जायेगा एवं राज्यांश की मांग के साथ इस आशय का प्रमाण पत्र भी संलग्न किया जायेगा कि प्रस्तुत की जा रही मांग सम्बन्धित मौसम में अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल मात्र के लिए ही प्रस्तुत की जा रही है तथा कृषकों द्वारा क्षेत्र विशेष में अधिसूचित फसल हेतु मात्र एक बार ही बीमा कवरेज प्रदान किया गया है। कृषक द्वारा अपने खेत में बोई गयी फसल का दो बार बीमा कराने की स्थिति में क्रियान्वयन अभिकरण को अधिकार होगा कि वह

सम्बन्धित कृषक के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करते हुए बीमा क्षतिपूर्ति का भुगतान न करे। ऐसी स्थिति में क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा कृषक द्वारा जमा कराये गये प्रीमियम अंश को वापस नहीं किया जायेगा। क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा प्रस्तुत की गयी मांग में किसी भी विगसंति हेतु सम्बन्धित क्रियान्वयन अभिकरण स्वयं उत्तरदायी होगी। बीमा कम्पनी द्वारा यह भी घोषित किया जायेगा कि राज्यांश के रूप में जितनी धनराशि की मांग राज्य सरकार से की जा रही है उतनी ही धनराशि की मांग केन्द्र सरकार से भी की गयी है तथा कम्पनी के स्तर पर राज्यांश की पूर्व में भुगतान की गयी समस्त धनराशि का उपभोग कम्पनी द्वारा सुनिश्चित कर लिया गया है। एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कम्पनी ऑफ इण्डिया लि० द्वारा राज्यांश की मांग का परीक्षण करते हुए भुगतान हेतु निदेशक, कृषि सॉखियकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश कार्यालय को अप्रसारित किया जायेगा।

- 17- राज्य सरकार स्तर से प्रीमियम पर अनुदान के मद में देय राज्यांश की धनराशि को प्राप्त करने के पूर्व क्रियान्वयन अभिकरण अथवा इनके द्वारा अधिकृत किसी एजेन्सी द्वारा यदि आवश्यक हुआ तो क्षेत्र विशेष में बीमित कृषकों/बीमित क्षेत्रों का सत्यापन किया जा सकेगा एवं प्रतिकूल सत्यापन की स्थिति में क्रियान्वयन अभिकरण को कृषकों से प्राप्त किसी भी बीमा प्रस्ताव अथवा बैंक स्तर से प्राप्त बीमा प्रस्ताव को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार होगा।
- 18- जनपद स्तर पर कृषि विभाग के उप कृषि निदेशक, योजना के क्रियान्वयन हेतु नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे एवं फसल बीमा योजनाओं के जनपद स्तर पर बैंकों, बीमा कम्पनी एवं राजस्व विभाग के समन्वय से सफल व समयबद्ध संचालन हेतु उत्तरदायी होंगे।
- 19- निदेशक, मौसम वैज्ञानिक केन्द्र, अमौसी, लखनऊ, निदेशक, रिमोट सेन्सिंग सेन्टर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ एवं निदेशक, कृषि सॉखियकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदेश के जनपदों के जनपदवार मौसम के आँकड़े, उपग्रही चित्र, कृषि से सम्बन्धित आवश्यक आँकड़े क्रियान्वयन अभिकरण की मांग के अनुरूप उपलब्ध करायी जायेगी।
- 20- जिलाधिकारी की अध्यक्षता में शासनादेश संख्या- 2680/12-2-2000-60(4)/89 दिनांक 10 जुलाई, 2000 गठित जिलास्तरीय मॉनीटरिंग समिति द्वारा योजना का प्रभावी क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण सुनिश्चित कराया जायेगा एवं जनपदीय अधिकारियों एवं कार्मिकों की इस योजना की पूरी सहभागिता हेतु प्रभावी निर्देश निर्गत किया जायेगा। जिलाधिकारी द्वारा अपने

स्तर से कृषक प्रतिनिधियों तथा स्थानीय जन प्रतिनिधियों को समिति की नियमित बैठक में भाग लेने हेतु नामित किया जायेगा।

जिलास्तीय मॉनीटरिंग समिति योजना के संचालन की प्रतिमाह समीक्षा कर प्रगति रिपोर्ट प्रमुख सचिव, कृषि, उत्तर प्रदेश शासन को माह के अन्त में प्रेषित करेगी तथा इसकी प्रति निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तर प्रदेश एवं निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश, कृषि भवन, लखनऊ को भी अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेगी।

21. अधिसूचना जारी होने के तुरन्त बाद क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा अधिकृत बीमा मध्यस्थ/एजेण्ट की सूची निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, 30प्र0 एवं इसकी प्रति सम्बन्धित जनपद के उप कृषि निदेशक एवं जिला उद्यान अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी।
22. बैंकों द्वारा योजनान्तर्गत लाभार्थी कृषकों की सूची एवं वितरित क्षतिपूर्ति का विवरण बैंक शाखा स्तर एवं ग्राम पंचायत कार्यालय स्तर पर प्रत्येक मौसम में चस्पा करायी जायेगी।
23. क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा लाभार्थी कृषकों को दी जाने वाली बीमा क्षतिपूर्ति की धनराशि e-Banking (RTGS) के माध्यम से कृषकों के बैंक खातों में जमा करायी जायेगी।
24. क्रियान्वयन अभिकरण के रूप में बीमा कम्पनियों के कार्य क्षेत्र को एक वर्ष हेतु इस आशय से निर्धारित किया गया है ताकि बीमा कम्पनी द्वारा जनपद में विशेष रणनीति बनाते हुए क्षेत्रीय स्तर पर योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाय। भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा जनपद में अपनी बचतों से कृषकों के लिए विभिन्न सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम यथा पेयजल सुविधा/स्वास्थ्य सेवा/शिक्षा/नो क्लेम बोनस/मौसम के अनुमान/व्यक्तिगत बीमा कवर/साझा सेवा केन्द्र आदि का विकास सुनिश्चित करते हुए कृषकों में अपनी कम्पनी की विश्वसनीयता स्थापित करने की कार्यवाही करेंगे।
25. क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा अपने अधिकृत जनपदों में कृषकों को योजना के प्रति जागरूक करने हेतु शासन द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना, एवं समय-समय पर दिये गये निर्देशों के अनुरूप अभियान चलाकर योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित कराया जायेगा एवं विशेष आयोजन करते हुए कृषकों को वितरित क्षतिपूर्ति की जानकारी उपलब्ध करायी जायेगी। क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा जनपद के बैंक कर्मियों को भी योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु आवश्यक प्रशिक्षण दिया जायेगा। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन व प्रचार-प्रसार में खण्ड विकास अधिकारियों, पंचायती राज विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ-साथ कृषि विभाग के अधिकारियों की भी मदद ली जाय। जिन

जनपदों में योजना लागू हो, उन जनपदों के ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधानों को योजना की संक्षिप्त विवरण, क्षतिपूर्ति एवं लाभार्थी कृषकों का विवरण प्रत्येक मौसम में क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

26. कृषकों को बीमा कवरेज प्रदान करने तथा क्षतिपूर्ति के निर्धारण व वितरण की पूरी प्रक्रिया में कृषकों को हतोत्साहित करने की किसी भी स्थिति में क्रियान्वयन अभिकरण के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जायेगी। कृषि विभाग के अधिकारी क्रियान्वयन अभिकरण के संगत रिकार्डों तक अपनी पहुँच रखेंगे एवं इस पूरी प्रक्रिया का नियमित अनुश्रवण सुनिश्चित करेंगे। क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा इन्हें आवश्यक सहयोग प्रदान किया जायेगा।
27. भारत सरकार स्तर से क्रियान्वयन अभिकरण को फसल बीमा योजनाओं में कृषकों की फसलों को कवरेज प्रदान करने हेतु De-Empanelled किया जाता है अथवा फसल बीमा योजनाओं के प्राविधानों में व्यापक संशोधन किये जाते हैं तो तदनुसार क्रियान्वयन अभिकरण के निर्धारित कार्य क्षेत्र एवं दायित्व को संशोधित/निरस्त किया जा सकता है।
- 28- गैर ऋणी कृषकों को योजना में सम्मिलित होने हेतु इन कृषकों के निकटतम/सेवा क्षेत्र के बैंक कृषकों को बैंक खाता खोलने, प्रस्ताव फार्म भरने, प्रीमियम जमा कराने एवं फसल बीमा का रिकार्ड रखने आदि में आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।
29. राज्य सरकार एवं क्रियान्वयन अभिकरण बैंकों के संगत रिकार्ड तक अपनी पहुँच रखेंगे एवं बैंकों द्वारा इसमें आवश्यक सहयोग प्रदान किया जायेगा।
30. क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा योजना की प्रगति रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह प्रमुख सचिव, कृषि, उत्तर प्रदेश शासन, निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, 30प्र0, कृषि भवन, लखनऊ तथा निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तर प्रदेश को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जायेगी।
31. समस्त बैंकों द्वारा अपने अधीनस्थ बैंक शाखाओं/नोडल बैंक शाखाओं द्वारा अधिसूचित फसलवार स्वीकृत ऋण सीमा के सापेक्ष कुल बीमित राशि की समीक्षा की जायेगी एवं यह सुनिश्चित किया जायेगा कि योजनान्तर्गत सभी पात्र कृषकों का बीमा अधीनस्थ बैंक शाखाओं द्वारा किया गया है। यदि नोडल बैंक/शाखा/पी.ए.सी.एस. की गलतियों/विलोपनों/कमीशन के कारण किसान लाभ से वंचित रहता है तो योजना के प्राविधानानुसार सम्बन्धित संस्थाएँ ही ऐसी हानियों की भरपाई करेंगी।
- 32- क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा कम से कम 5 प्रतिशत लाभार्थी कृषकों के विवरण को बैंक स्तर पर सत्यापित करते हुए जिला स्तरीय मानीटरिंग समिति, प्रमुख सचिव, कृषि, 30प्र0 शासन एवं निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, 30प्र0 को उपलब्ध कराया जायेगा। इसी प्रकार जिला स्तरीय मानीटरिंग समिति द्वारा कम से कम 10 प्रतिशत लाभार्थी

कृषकों के विवरण को सत्यापित कराते हुए रिपोर्ट प्रमुख सचिव, कृषि, 30प्र0 शासन, निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, 30प्र0 तथा निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तर प्रदेश को प्रेषित की जायेगी। प्रदेश शासन व भारत सरकार स्तर पर नेशनल लेवल मानीटरिंग समिति द्वारा इस सम्बन्ध में आवश्यकतानुसार सत्यापन कराया जायेगा।

- 33- बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं को उनके द्वारा कृषकों से प्राप्त प्रीमियम की धनराशि पर चार प्रतिशत सर्विस चार्ज क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा प्रत्येक मौसम में प्रदान किया जाएगा।
- 34- योजना सर्विस टैक्स से मुक्त रखी गयी है।
- 35- बीमा क्षतिपूर्ति नोडल बैंक शाखाओं को जारी करते हुए क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा योजना का फसलवार एवं बैंकवार विस्तृत विवरण की एक प्रति सम्बन्धित जनपद के उप कृषि निदेशक, दूसरी प्रति निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश तथा अन्य प्रति निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तर प्रदेश को प्राथमिकता पर उपलब्ध कराया जायेगा।
- 36- इस योजना की विस्तृत जानकारी हेतु जनपदवार अधिकृत क्रियान्वयन अभिकरण अथवा उप कृषि निदेशक अथवा निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तर प्रदेश अथवा निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, 30प्र0, कृषि भवन, लखनऊ से अलग से अनुरोध किया जाय।
- 37- जनपद के प्रत्येक अधिसूचित विकास खण्ड में अधिकृत क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप स्वतंत्र इकाई के माध्यम से दो मौसम केन्द्र इस तरह से स्थापित कराये जायेंगे कि प्रत्येक मौसम केन्द्र ब्लाक के सम्पूर्ण क्षेत्रके लगभग आधे-आधे क्षेत्र को Uniformly कवर करें। इन मौसम केन्द्रों की स्थापना, सुव्यवस्थित ढंग से संचालन आँकड़ों के रख-रखाव आदि का समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित क्रियान्वयन अभिकरण का होगा।
- 38- क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा अधिसूचित मौसम केन्द्रों के मौसम सम्बन्धी सभी आवश्यक दैनिक आँकड़े ऑन लाइन अनिवार्य रूप से निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तर प्रदेश अथवा निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, 30प्र0, कृषि भवन, लखनऊ को उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।
- 39- क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा अधिसूचित मौसम केन्द्रों की स्थापना, उपकरण/सेन्सर की गुणवत्ता, मौसम केन्द्रों का रख-रखाव तथा मौसम के आँकड़ों की गुणवत्ता आदि का सत्यापन भारतीय मौसमविभाग के निर्धारित मानकों के अनुरूप सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में भारतीय मौसम विभाग अथवा भारतीय मौसम विभाग द्वारा अधिकृत एजेन्सी

से आवश्यक प्रमाण-पत्र प्राप्त करते हुए निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तर प्रदेश अथवा निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, 30प्र0, कृषि भवन, लखनऊ को मौसम केन्द्रों की स्थापना के पश्चात तथा समय-समय पर उपलब्ध किया जायेगा।
संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
(Signature)
9.6.16

(अमित मोहन प्रसाद)

प्रमुख सचिव।

संख्या- 22 /2016/154 /12-2-2016 तददिनांक।


प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण, विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001
2. अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग, 30प्र0 शासन।
4. प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, 30प्र0 शासन।
5. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, 30प्र0 शासन।
6. सचिव एवं राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
7. आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारी समितियाँ, उत्तर प्रदेश, 14-विधान सभा मार्ग, लखनऊ।
8. मण्डलायुक्त- गोरखपुर, इलाहाबाद एवं आगरा मण्डल, उत्तर प्रदेश।
9. प्रमुख सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, 30प्र0 शासन।
10. महानिदेशक, संस्थागत वित्त एवं वाहय सहायति परियोजना निदेशालय, 30प्र0, 16-विधान सभा मार्ग, लखनऊ।
11. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, कृषि भवन, लखनऊ।
12. निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, 30प्र0, कृषि भवन, लखनऊ।
13. निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उद्यान भवन, 2 सपू मार्ग, लखनऊ।
14. निदेशक, मौसम विज्ञान केन्द्र, अमौसी एयरपोर्ट, लखनऊ।
15. निदेशक, रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन सेंटर, 30प्र0, कुर्सी रोड, लखनऊ।
16. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश को-आपरेटिव बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, 2-महात्मा गाँधी मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ।
17. महाप्रबन्धक, ग्रामीण आयोजना एवं ऋण विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, 8-9, विपिनखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
18. मुख्य महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), 11-विपिनखण्ड गोमतीनगर, लखनऊ।

19. महाप्रबन्धक (प्रशासन), भारतीय स्टेट बैंक, स्थानीय प्रधान कार्यालय, 35-मोती महल मार्ग, हजरत गंज लखनऊ।
20. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति प्रकोष्ठ (SLBC), बैंक आफ बड़ौदा, अंचल कार्यालय, बड़ौदा हाउस, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ-226010.
21. क्षेत्रीय प्रबन्धक, एग्रीकल्चर इन्श्योरेंस कम्पनी आफ इण्डिया लि०, पंचम तल, जीवन भवन, फेज-2 नवल किशोर रोड, हजरतगंज, लखनऊ।
22. एरिया मैनेजर, आई०सी०आई०सी०आई० लोम्बार्ड, जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लि०, एल्डिको कारपोरेट, चैम्बर नम्बर-1, चतुर्थ तल, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
23. महाप्रबन्धक, इलाहाबाद बैंक, जोनल कार्यालय, सेन्ट्रल जोन, नरही, हजरतगंज, लखनऊ।
24. उप महाप्रबन्धक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।
25. महाप्रबन्धक, केनरा बैंक, कृषि वित्त एवं प्राथमिकता क्षेत्र अनुभाग, अंचल कार्यालय, 4- सपू मार्ग, लखनऊ।
26. मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक, यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया, केन्द्रीय क्षेत्र, 4- बी, हबीबुल्लाह स्टेट, लखनऊ।
27. उप मुख्य अधिकारी, इण्डियन ओवरसीज बैंक, तीसरी मंजिल, नव चेतना केन्द्र, 10- अशोक मार्ग, लखनऊ।
28. उप महाप्रबन्धक, रीजनल कार्यालय, यूनियन बैंक आफ इण्डिया, शारदा टावर, द्वितीय तल, कपूरथला काम्पलेक्स, अलीगंज, लखनऊ।
29. सहायक महाप्रबन्धक, पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक, आंचलिक कार्यालय, 8-ज्वाला बिल्डिंग, लालबाग, लखनऊ।
30. मुख्य प्रबन्धक (वित्त एवं कृषि), बैंक आफ बड़ौदा, अंचल कार्यालय (पश्चिमी उत्तर प्रदेश), पोस्ट बाक्स नं०-363, विश्व शान्ति काम्पलेक्स, देहली रोड, मेरठ।
31. उप महाप्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा, जोनल कार्यालय, पोस्ट बाक्स नं०-198, पहली मंजिल, जीवन बीमा विनियोग भवन, 45- हजरतगंज, लखनऊ।
32. सहायक महाप्रबन्धक, विजया बैंक, नेहरू भवन, पोस्ट बाक्स नं०-183, कैसरबाग, लखनऊ।
33. सहायक महाप्रबन्धक, सिण्डीकेट बैंक, नवल किशोर रोड, हजरतगंज, लखनऊ।
34. क्षेत्रीय प्रबन्धक, यूको बैंक, आकाशदीप बिल्डिंग, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।
35. जोनल मैनेजर, बैंक आफ इण्डिया, नवल किशोर रोड, हजरतगंज, लखनऊ।
36. क्षेत्रीय प्रबन्धक, सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया, कोतवाली के सामने, हजरतगंज, लखनऊ।
37. क्षेत्रीय प्रबन्धक, ओरियण्टल बैंक आफ कामर्स, अंचल कार्यालय, महात्मा गाँधी मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ।
38. सर्किल हेड, पंजाब नेशनल बैंक, एल०आई०सी० बिल्डिंग, प्रभातनगर, साकेत, मेरठ।
39. जोनल मैनेजर, इण्डियन बैंक, 2 बी, हबीबुल्लाह इस्टेट, महात्मा गाँधी मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ।

40. क्षेत्रीय प्रबन्धक, देना बैंक, 28 ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।
41. वरिष्ठ प्रबन्धक, आन्ध्र बैंक, 16 विधान सभा मार्ग, लखनऊ।
42. सहायक जनरल मैनेजर, बैंक आफ महाराष्ट्र, विकास नगर, लखनऊ।
43. जनरल मैनेजर, नैनीताल बैंक लि0, नैनीताल बैंक हाउस, 7 ओक्स बिल्डिंग, मल्लीताल नैनीताल।
44. उप जनरल मैनेजर, कॉर्पोरेशन बैंक, 1-1/ एफ, अशोक मार्ग (निशातगंज के पास), लखनऊ।
45. शाखा प्रभारी, एक्सिस बैंक लि0, 25-बी, अशोक मार्ग, सिकन्दरबाग चौराहा, लखनऊ।
46. शाखा प्रभारी, आई0डी0बी0आई0 बैंक, सहकारी किसान भवन, तृतीय तल, 2- महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ।
47. वरिष्ठ प्रबन्धक, फेडरल बैंक, 29 विधान सभा मार्ग, लखनऊ।
48. सहायक उपाध्यक्ष, इण्डसाइण्ड बैंक लि0, नवल किशोर रोड, लालबाग, लखनऊ।
49. संयुक्त कृषि निदेशक, गोरखपुर, इलाहाबाद एवं आगरा मण्डल, उत्तर प्रदेश।
50. सांख्यिकीय अधिकारी, मण्डलायुक्त कार्यालय, गोरखपुर, इलाहाबाद एवं आगरा मण्डल, उत्तर प्रदेश।
51. उप कृषि निदेशक, जनपद- कुशीनगर, गोरखपुर, फतेहपुर व फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश।
52. जिला उद्यान अधिकारी, जनपद- कुशीनगर, गोरखपुर, फतेहपुर व फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश।
53. जिला कृषि अधिकारी, जनपद- कुशीनगर, गोरखपुर, फतेहपुर व फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश।
54. अध्यक्ष, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जनपद- कुशीनगर, गोरखपुर, फतेहपुर व फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश।
55. सचिव/महाप्रबन्धक, समस्त जिला सहकारी बैंक लि0, जनपद- कुशीनगर, गोरखपुर, फतेहपुर व फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश।
56. प्रबन्धक, लीड बैंक (शीर्ष बैंक), जनपद- कुशीनगर, गोरखपुर, फतेहपुर व फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

आज्ञा से,

 (इन्द्रदेव पटेल)
 विशेष सचिव।

वर्ष 2016-17 के खरीफ एवं रबी मौसम में जनपद - कुशीनगर, गोरखपुर, फिरोजाबाद एवं फतेहपुर में निर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अन्तर्गत विकासखण्डवार अधिसूचित फसल:-

क्र० सं०	अधिसूचित फसल	जनपद	अधिसूचित विकास खण्ड	अधिकतम बीमित राशि (रु०/हे०)	प्रीमियम राशि (बीमित राशि के प्रतिशत के रूप में)			
					कृषक अंश	केन्द्रांश	राज्यांश	कुल प्रीमियम राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	केला	कुशीनगर	सम्बंधित जनपद के समस्त विकास खण्ड	1,50,000	5.00	6.50	6.50	18.00
		गोरखपुर		1,50,000	5.00	6.50	6.50	18.00
2	मिर्च	फिरोजाबाद	सम्बंधित जनपद के समस्त विकास खण्ड	50,000	5.00	6.50	6.50	18.00
		फतेहपुर		50,000	5.00	6.50	6.50	18.00

Handwritten signature


4/11/16

**DEPARTMENT OF HORTICULTURE AND FOOD PROCESSING
2- SAPRU MARG, UTTAR PRADESH, LUCKNOW**

WEATHER BASED CROP INSURANCE SCHEME-PMFBY: TERM SHEET FOR (KHARIF 2016)

State	U.P	District	Kushinagar	Gorakhpur
Crop	BANANA	Notified Blocks/Reference	Weather St	As per notification
Unit	Hectare			
1. Deficit Rainfall Cover				
Rainfall-Volume				
Cover phase	from	01-Aug-16	1-Sep-16	
To	31-Jul-16	30-Sep-16		
Strike 1 (mm)	250	225	250	
Strike 2 (mm)	150	100	100	
Exit (mm)	80.23	50	50	
Standard Loss Rate between Strike 1 and Strike 2 & Notional (Rs/mm/Hectare)	50	37.54	23.89	
Standard Loss Rate between Strike 2 and Strike Exit Notional 2 (Rs/mm/Hectare)	86.36	252.65	148.83	
Policy limit (mm/Hectare)	11025	17325	11025	
2. Consecutive Dry Days cover				
Consecutive Dry Days				
Rainfall Distribution	1-Jul-16	to	30-Sep-17	
Cover Phase	1	2	3	4
Strike(days)	9.00	12.00	16.00	20.00
Payout (Rs/Hectare)	2625.00	5250.00	7875.00	10500.00
				13125.00

Number of Days in the longest spell of Consecutive Dry Days (CDD) where dry day is a day with rainfall less than 2.5 mm.


 (50 मूल्य का सिं) उपर दिशक (खान)

पकड़ु (गार निगम) विकारी
 सौख्यकीय

(50 मूल्य का सिं) उपर दिशक (खान)
 सौख्यकीय विकारी

3. Temperature Fluctuation cover		Count of days daily Mean temperature over 40.0 degree Celsius or below 12 degree Celsius	
Temperature Fluctuation	15-Aug-16	to	31-Oct-17
Cover Phase	1	2	3 4 5
Strike(days)=>	3.00	5.00	10.00
Payout (Rs/Hectare)	2625.00	5250.00	10500.00
4. Excess Rainfall Cover			
Excess Rainfall Cover			
Highest of 2 consecutive days cumulative rainfall in respective phases			
Cover phase	from	21-Aug-16	16-Sep-16
To	20-Aug-16	15-Sep-16	31-Oct-16
Strike 1 (mm)	200	100	125
Exit (mm)	300	225	225
Standard Loss Rate between	148.35	107.64	148.35
Strike 1 and Exit			
Notional1(Rs/mm/Hectare)			
Policy Limit (Rs/Hectare)	14835	13455	14835
5. High Wind Speed cover			
High Wind Speed			
Cover phase	1-jul-16	Maximum of daily wind speed over period	
Strike (km/hr)	1	2	3 4 5
Payout (Rs/Hectare)	45.00	55.00	65.00
	4125.00	8250.00	16500.00
Total Sum Insured (Rs)	1,50,000.00		24750.00
Total Premium (Rs)			41250.00
Farmers Premium (%)			

(पंकज कुमार निगम)
सौख्यकीय चिकारी

Signature

(डा० मृगेन्द्र वीर सिंह)
सोख्यकीय ऑफिसर
सोख्यकीय उद्यान एवं खाद्य संरक्षण
निदेशालय उद्यान एवं खाद्य संरक्षण
उ० प्र०, लखनऊ

अपर निदेशक (उद्यान)

Signature

DEPARTMENT OF HORTICULTURE AND FOOD PROCESSING

2- SAPRU MARG, UTTAR PRADESH, LUCKNOW

WEATHER BASED CROP INSURANCE SCHEME-PMFBY: TERM SHEET FOR (KHARIF 2016)

Crop	CHILLY			
District	Fatepur, Firozabad			
Aggregate of rainfall over respective phases				
1. Index-A(Deficit Rainfall cover)				
Cover Phase,From	15-Jul-16	01-Aug-16	16-Aug-16	
to	31-Jul-16	15-Aug-16	31-Aug-16	
Strike 1 (mm)	280	275	245	
Strike 2 (mm)	250	150	150	
Exit (mm)	150	50	100	
Notional 1 (Rs/mm/Hectare)	40	20	30	
Notional 2 (Rs/mm/Hectare)	33	15	23	
Policy limit (mm/Hectare)	4500.00	4000.00	4000.00	
2. Index-B(Excess Rainfall cover)	Highest of 2 consecutive days cumulative rainfall in respective phases			
Cover Phase,From	1-Jul-16	01-Aug-16	1-Sep-16	
to	31-Aug-16	31-Aug-16	30-Sep-16	
Strike 1 (mm)	280	200	120	
Exit (mm)	380	300	220	
Notional 1 (Rs/mm/Hectare)	45	40	40	
Policy limit (mm/Hectare)	4500.00	4000.00	4000.00	

(पंकज कुमार निगम /
सौख्यकीय धिकारी

मन्तर
पं. प्र. म. नि. वि. (सि. वि.)
पं. प्र. म. नि. वि. (सि. वि.)
पं. प्र. म. नि. वि. (सि. वि.)
पं. प्र. म. नि. वि. (सि. वि.)
पं. प्र. म. नि. वि. (सि. वि.)

श्री. वि. नि. वि. (सि. वि.)

पं. प्र. म. नि. वि. - 3

Count of days with daily mean temperature above benchmark 1 or below benchmark 2 along with humidity of 80 percent or more as benchmark 3

3. Index-C (Temperature Fluctuation with Relative Humidity cover)	1-Sep-16 to 30-Oct-16			
	Strike 1	Strike 2	Strike 3	Strike 4
Cover Phase				Exit
Trigger(>=)	3	5	8	12
Payout (Rs/Hectare)	2500.00	5000.00	7500.00	10,000.00
Benchmark 1		Benchmark 2		
Benchmark 2	32	18	80 percent or more humidity	
4. Index- D (CDD cover)	Maximum Number of consecutive Dry Days (CDD) where dry day is a day with rainfall less than 2.5 mm.			
Cover Phase	1-Jul-16	to	30-Sep-16	Exit
Trigger (CDD'S) (>=)	Strike 1	Strike 2	Strike 3	Strike 4
Payout (Rs/Hectare)	9	12	16	20
	2500.00	5000.00	7500.00	10,000.00
Total Sum Insured (Rs/Hectare)	50,000.00			
Total				
Premium(Rs/Hectare)				
Farmers Premium(Rs/Hectare)				

(पंकज कुमार निगम /
सॉल्यूशनीय धिकारी

MSD
(डि० मूडर अ०
संरक्षक
सिदेहालय खारा
280 900

SRP सिरेसिड (पि०/ए०)

K